

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण), - 1 राज्य कर, विकासनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण), - 1 राज्य कर, विकासनगर के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री चंद्रमोहन सिंह रावत (तदर्थ) एवं श्री अरविंद कुमार उपाध्याय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.09.2020 से 09.09.2020 तक श्री शशिकान्त पांडे, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री गोविंद कुमार सिंह एवं श्री अरविंद कुमार उपाध्याय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 08.11.2019 से 19.11.2019 तक श्री राज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह ---- से ---- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: - नंदा की चौकी से विकासनगर दाये तरफ।

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2017-18	2063.31
2018-19	24480.89
2019-20	29067.12

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है: (₹ लाख में)

वर्ष	Plan		Non plan		अधिक्य (+)	बचत (-)
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A'श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त राज्य कर> अपर आयुक्त राज्य कर> संयुक्त आयुक्त राज्य कर> उपायुक्त राज्य कर >सहायक आयुक्त राज्य कर> राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण), - 1 राज्य कर, विकासनगर को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण), - 1 राज्य कर, विकासनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: ----- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ----- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर 1- कर के अनारोपण/न्यूनरोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति रु 11.92 लाख।

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 1 : कर का अनारोपण ` 4.19 लाख।

प्रस्तर- 2 : कम राशि से स्टांपित विलेखों को स्वीकार करने के कारण राजस्व क्षति ` 3.18 लाख।

प्रस्तर- 3 : मिथ्या घोषणा करने वाले व्यापारी से अपेक्षित धनराशि ` 0.39 लाख एवं अर्थदण्ड ` 0.59 लाख की वसूली न किए जाने से राजस्व की क्षति ` 0.98 लाख।

प्रस्तर- 4 : व्यापार खाते में गलत विवरण प्रदर्शित किए जाने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 3.90 लाख।

प्रस्तर- 5 : कर का न्यूनारोपण ` 8.69 लाख।

प्रस्तर -6 कर के अनियमित आरोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति रु 5.89 लाख।

प्रस्तर -7 : कर का अनारोपण ` 0.45 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग दो अ

प्रस्तर 1- कर के अनारोपण/न्यूनरोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 11.92 लाख।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) -1, राज्य कर, विकास नगर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि सर्वश्री एस एस आई पी एल रिटेल लि सेलकुई देहरादून (टिन 05008395957) विभाग में फुटवियर का निर्माण कर विक्री के लिए विभाग में पंजीकृत था। उसके द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में प्रांत बाहर से रु 350678953.00 का रॉ /पैकिंग मैटरियल, कंज्यूमेबल गुड्स, एडहेसिव एवं प्लांट व मशीनरी का आयात किया गया। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में प्रांतीय/केंद्रीय विक्री एवं स्टॉक ट्रांसफर रु 40,15,28,495.00 का घोषित किया गया। उक्त में से फार्म सी के विरुद्ध कुल रु 28,81,81,653.00 की 1% की दर दर्शाई गयी।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए क्रय एवं विक्रय की जांच पर पाया गया कि (1) रु 531728.00 कि खरीद वर्ष 2015-16 से संबन्धित थी परंतु कर निर्धारण में उसे वर्ष 2014-15 कि खरीद माना गया। अतः उक्त खरीद को विक्री मानते हुए 13.5% की दर से कर रु 71783.00 आरोपणीय है। (2) रु 2714351.00 कि खरीद को कैलक्युलेशन मिसटेक (डबल एंट्री) माना गया जबकि क्रय सूची से स्पष्ट है कि वह डबल एंट्री नहीं है। अतः उक्त को विक्री मानते हुए 13.5% की दर से कर रु 366437.00 आरोपणीय है। (3) फार्म सी नंबर HR06WC1831031, HR06WC1046156 एवम HR06WC1552851 के द्वारा क्रमशः रु 650212.00, 5174704.00 एवं 70275574.00 की विक्री (1% की दर से कर सहित) क्रमशः RMG/FOOTWEAR, READYMADE GARMENT एवं READY MADE GARMENTS का विक्रय 1% की दर से किया गया। जबकि व्यापारी के पंजीकरण/मान्यता प्रमाण पत्र दोनों से स्पष्ट है कि उसके द्वारा all type of footwear, leather shoes, sports shoes, sandal, chappal, upper, soles का निर्माण किया जाता है। अर्थात् readymade garments का निर्माण उसके द्वारा नहीं किया जाता है। अतः फार्म सी के विरुद्ध उक्त विक्री रु 7,53,47,021.00 (643774.26+5123470.30+69579776.) पर अंतरीय दर 1% की दर से कर रु 7,53,470.00 मय व्याज आरोपणीय है। अर्थात् कुल रु 11,91,690.00 का कर ब्याज सहित आरोपणीय है।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि-

(1) उक्त खरीद वर्ष 2014-15 से संबन्धित है और साक्ष्य में चतुर्थ तिमाही की 17(F) की छाया प्रति प्रस्तुत किया।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि 17(F) के अनुसार उक्त खरीद व्यापारी की 01.04.2015 को प्राप्त हुई। तदनुसार यह वर्ष 2015-16 की खरीद है।

(2) क्रय सूची में 3 स्थानों पर पुनरावृत्ति हुई है। अतः वह गलत है।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि व्यापारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत क्रय सूची के विवरण से स्पष्ट है की फार्म 16 के नंबर एवं quantity तथा वैल्यू अलग अलग है।

(3) व्यापारी द्वारा केंद्रीय विक्री कर अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत उपरोक्त बिक्री की गयी है। व्यापारी द्वारा विक्रीत वस्तुएँ उसका फ़िनिशड गूड्स है जिसकी फार्म सी के विरुद्ध केंद्रीय विक्री की गयी है। उल्लेखनीय है की प्रश्नगत मामले में केंद्रीय बिक्री प्रपत्र सी के विरुद्ध की गयी है जिससे मान्यता प्रमाण पत्र का कोई वास्ता नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है की किसी भी वस्तु की केंद्रीय विक्री करने के संबंध में उस वस्तु का केंद्रीय विक्री प्रमाण पत्र में उल्लेख होना आवश्यक नहीं है। एवं प्रपत्र सी विक्रेता व्यापारी को क्रेता व्यापारी से प्राप्त होता है। तो उस स्थिति में विक्रेता व्यापारी को रियायती दर का लाभ अनुमान्य होगा। केंद्रीय विक्री कर अधिनियम की धारा 8(1) से स्पष्ट है कि यदि किसी राज्य का कोई डीलर दूसरे राज्य के पंजीकृत डीलर को धारा 8(3) में वर्णित कि गयी वस्तुओं की विक्री अंतर्प्रान्तीय व्यापार के दौरान करता है तब इस स्थिति में डीलर समान्यतः 2% कि दर से कर देयता निर्धारित होगी जिसे सरकार विजप्ति द्वारा कम भी कर सकती है। अतः स्पष्ट है कि रियायती दर का लाभ उसी विक्रेता डीलर को मिलेगा जो दूसरे राज्य के पंजीकृत डीलर को वस्तुएँ बेचेगा जो अधिनियम कि धारा 8(3) में वर्णित होगा। अधिनियम कि धारा 2(6) से भी स्पष्ट है कि इस अधिनियम के अंतर्गत डीलर का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है जो व्यापार करता हो। धारा 2(f) से स्पष्ट है कि पंजीकृत डीलर का अर्थ उस डीलर से है जो सीएसटी एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत पंजीकृत हो । अतः अधिनियम कि विवेचना से स्पष्ट है कि धारा 8(1) के संदर्भ में क्रेता डीलर का सीएसटी एक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है, न कि विक्रेता डीलर का। धारा 8(4) से स्पष्ट है कि धारा 8(1) के अंतर्गत रियायती दर से लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि विक्रेता व्यापारी पंजीकृत क्रेता व्यापारी को जारी वस्तुओं का केंद्रीय विक्री के संदर्भ में पंजीकृत क्रेता व्यापारी से प्रपत्र सी प्राप्त करके नियमानुसार अपने कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

विभागीय उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि व्यापारी के पंजीकरण/मान्यता प्रमाण पत्र दोनों से स्पष्ट है की उसके द्वारा all type of footwear, leather shoes, sports shoes, sandal, chappal, upper, soles का ही निर्माण किया जाता है न कि READYMADE GARMENTS का। उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या 98/2015//181(120)/XXVII(8)/08 dated 20.01.2015 के अनुसार फार्म सी के विरुद्ध विक्री पर 1% की दर का लाभ निर्माण की गयी वस्तु की विक्री पर मिलेगा न कि ट्रेडिंग के द्वारा बिक्रीत वस्तु पर।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)**प्रस्तर - 1 : कर का अनारोपण ` 4.19 लाख।**

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधो के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा।

कार्यालय उपायुक्त (क. नि.)-1, राज्य कर विभाग, विकासनगर, देहरादून की कर निर्धारण वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज लि0, सेलाकुई, देहरादून, टिन: 05008839926 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में प्रांत के बाहर से ` 1,88,35,070/- की मशीनरी पार्ट्स की खरीद करना दर्शाया गया है। कर निर्धारण आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि यह खरीद का भाग नहीं है। अतः इसे बैलेंस शीट में असेट्स में वृद्धि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था।

व्यापारी की संगत वर्ष 2015-16 की बैलेंस शीट के अवलोकन में पाया गया कि प्रांत के बाहर से आयातित उक्त खरीद में से मात्र ` 1,57,34,000/- की धनराशि को ही बैलेंस शीट में शामिल किया गया है। अवशेष खरीद ` 31,01,070/- (1,88,35,070 - 1,57,34,000) पर बिक्री के अनुक्रम में अवर्गीकृत वस्तुओं के विक्रय की भांति 13.50% की दर से ` 4,18,644/- करारोपण किया जाना चाहिए था जो कर निर्धारण के समय नहीं किया गया। अतः, उक्त करारोपण न करने से ` 4,18,644/- का कर अनारोपित रहा जिसे राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि संप्रेक्षा द्वारा अंकित आपत्ति के संबंध में जांचोपरांत कार्रवाई करके संप्रेक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः, ` 4,18,644/- के कर के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2 'ब'

प्रस्तर - 2 : कम राशि से स्टांपित विलेखों को स्वीकार करने के कारण राजस्व क्षति 3.18 लाख।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 में प्रावधान किया गया है कि यदि 'विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत, पुलिस अधिकारी के सिवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्यों के सम्पादन में कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाए, या आ जाए, जो उसकी राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टांपित नहीं है, उसे जब्त करेगा।' धारा 33(2) के अनुसार 'इस प्रयोजन से ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विलेख के निष्पादन या प्रथम निष्पादन के समय भारत में प्रचलित विधि में निर्धारित मूल्य और प्रकार के स्टाम्प से स्टांपित है, उसके समक्ष ऐसे प्रस्तुत किए गए या आए प्रत्येक ऐसे प्रभार्य विलेख का परीक्षण करेगा।'

इसी के क्रम में महानिरीक्षक- निबंधन, उत्तराखण्ड ने पत्रांक 827/म.नि.नि./2013-14 दिनांक 23 दिसंबर 2013 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया कि समस्त कार्यालयाध्यक्षों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 में उल्लेखित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित कर दें कि वह भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के आलोक में उनके कार्यालय में विगत आठ वर्षों में निष्पादित किए गए विभिन्न प्रकार के विलेखों का परीक्षण कर लें एवं यदि किसी प्रकरण में स्टाम्प कमी का मामला दृष्टिगोचर हो तो संबन्धित अभिलेख की प्रति अपनी आख्या सहित यथाशीघ्र अपने जनपद के कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करने का कष्ट करें। अतः, स्पष्ट है कि विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों को शासन ने उनके समक्ष प्रस्तुत विलेखों पर स्टाम्प शुल्क के सही दर पर अदा किए जाने के विषय में उत्तरदायित्व निर्धारित किया था एवं किसी संदेह की दशा में धारा 33 के अनुसार कार्यवाही करने की ज़िम्मेदारी तय की थी।

कार्यालय उपायुक्त (क. नि.)-1, राज्य कर विभाग, विकासनगर, देहरादून की कर निर्धारण वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा के दौरान सर्वश्री रेजी इंडिया कॉस्मेटिक्स प्रा0 लि0, टिन: 050009733587 की गोपनीय पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त व्यापारी द्वारा कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत लीज विलेख दिनांक 18 सितम्बर 2014,

जिसके द्वारा फैक्ट्री परिसर No C-8, Sara Industrial Estate, Rampur, Chakrata Road, Dehradun - 248197 की भूमि को 6 वर्ष के लिए लीज पर लिया गया था, में समुचित दर से स्टाम्प शुल्क अदा नहीं किया गया था बल्कि मात्र 100 रुपए के स्टाम्प शुल्क पर लीज डीड संपादित की गई थी। तथापि, कार्यालय द्वारा अधिनियम की धारा 33(2) के अधीन विलेखों का परीक्षण यह जानने के लिए नहीं किया गया कि क्या उक्त विलेख समुचित राशि से स्टांपित हैं अथवा नहीं, और न ही उक्त विलेखों को जब्त कर कलेक्टर को भेजा गया। अतः, कम राशि से स्टांपित विलेखों को स्वीकार करने के कारण ` 3,17,760/- की राजस्व हानि हुई (संलग्नक-1)।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि संप्रेक्षा द्वारा अंकित आपत्ति के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त के संबंध में कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा।

अतः, कम राशि से स्टांपित विलेखों को स्वीकार करने के कारण ` 3.18 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक - 1

वर्ष	मासिक किराया	वार्षिक किराया
प्रथम वर्ष	3,00,000	36,00,000
द्वितीय वर्ष	3,00,000	36,00,000
तृतीय वर्ष	3,30,000	39,60,000
चतुर्थ वर्ष	3,30,000	39,60,000
पंचम वर्ष	3,63,000	43,56,000
छठा वर्ष	3,63,000	43,56,000
समस्त वर्षों के किराए का योग		2,38,32,000
औसत वार्षिक किराया= समस्त वर्षों के वार्षिक किराए का योग/6		39,72,000
औसत वार्षिक किराया का 4 गुना (1000 के गुणांक में)		1,58,88,000
आवश्यक स्टाम्प शुल्क= उक्त का 2 %		3,17,760
अदा किया गया स्टांप शुल्क		100
अवशेष स्टांप शुल्क		3,17,760

भाग 2 ब

प्रस्तर- 3 : मिथ्या घोषणा करने वाले व्यापारी से अपेक्षित धनराशि ` 0.39 लाख एवं अर्थदण्ड ` 0.59 लाख की वसूली न किए जाने से राजस्व की क्षति ` 0.98 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(7)(ख) के अनुसार यदि किसी व्यापारी को उपधारा (क) में निर्दिष्ट कोई माल किसी कर योग्य माल का प्रदेश में विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए या उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत ऐसे माल के packaging में प्रयोग के लिए अपेक्षित हो **और उसका ऐसे माल को राज्य में या अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत से बाहर निर्यात करने के दौरान बेचने का अभिप्राय हो** तो वह कर निर्धारक प्राधिकारी को, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाय, इसकी बाबत मान्यता प्रमाणपत्र दिये जाने के लिए आवेदन कर सकता है, और यदि आवेदक विलंब फीस जमा करने की अपेक्षा को सम्मिलित करते हुए सभी अपेक्षाओं और शर्तों को जो विहित की जाय, पूरा करता हो तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे माल के संबंध में ब्यौहारी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाय, मान्यता प्रमाण पत्र देगा।

पुनः, अधिनियम की धारा 4 (7) (घ) के अनुसार, यदि किसी ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खंड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी दशा हो, कर का भुगतान किए बिना माल क्रय किया हो, **और ऐसे माल का प्रयोजन उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता प्रमाणपत्र किया गया हो, भिन्न प्रयोजन किए लिए किया हो या ऐसे माल का निस्तारण अन्यथा कर दिया हो,** तो ऐसा ब्यौहारी दंड स्वरूप ऐसी धनराशि का, जो कर निर्धारक प्राधिकारी नियत करे, दायी होगा जो इस उपधारा के अधीन ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर कर की धनराशि और इस अधिनियम की किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन देय कर की धनराशि के बीच के अंतर के **डेढ़ गुने से कम न होगी किन्तु ऐसे अंतर की धनराशि के दुगुने से अधिक न होगी।**

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अनुसार, "जो व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों के किसी उपबंध के अधीन

विहित कोई ऐसा मिथ्या या गलत प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र किसी अन्य व्यक्ति को जारी करे, जिसके कारण ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ या उसके द्वारा किए गए क्रय या विक्रय के संव्यवहार पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर आरोपणीय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है, तो वह ऐसे संव्यवहार पर ऐसी धनराशि का दायी होगा जो ऐसे संव्यवहार पर देय होती, यदि ऐसा प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र जारी न किया गया होता”।

स्पष्टीकरण: यदि प्रमाणपत्र या घोषणापत्र जारी करने वाला व्यक्ति उसमें अपना यह अभिप्राय प्रकट करे कि वह अपने द्वारा क्रय किए माल का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिए करेगा जिससे कोई कर देय न होगा या रियायती दर पर देय होगा, किन्तु उसका उपयोग ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए करे, तो प्रमाणपत्र या घोषणा पत्र को इस धारा के प्रयोजन के लिए गलत समझा जाएगा।

कार्यालय उपायुक्त (क. नि.)-1, राज्य कर विभाग, विकासनगर, देहरादून की कर निर्धारण वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज लि0, टिन: 05008839926, सेलाकुई, देहरादून, द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में प्रांत के अंदर से रियायती दर पर फॉर्म 11 के विरुद्ध ` 5,68,32,454/- की raw material, packing material एवं consumables की खरीद की गई है एवं उससे बने माल का स्टॉक ट्रांसफर कर दिया गया है। तथापि, फॉर्म 11 के द्वारा 3% की दर से रियायती दर पर कच्चे माल की खरीद करके उससे बने माल का कर मुक्त स्टॉक ट्रांसफर करना धारा 4 (7) (ख) एवं 4 (7) (घ) के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम की धारा 63 के स्पष्टीकरण के अनुसार मिथ्या घोषणा की श्रेणी में आता है। अतः, ` 5,68,32,454/- के माल के रियायती क्रय करने एवं उससे बने माल का कर मुक्त स्टॉक ट्रांसफर करने पर धारा 63 के अनुसार अंतरीय दर से कर ` 39,199/- एवं धारा 4 (7) (घ) के अनुसार ` 58,799/- (अंतरीय दर से देय कर की धनराशि ` 39,199 का डेढ़ गुना) अर्थदण्ड अर्थात् कुल ` 97,998/- की धनराशि व्यापारी द्वारा देय है (विवरण संलग्न - 1)।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि संप्रेक्षा दल द्वारा अंकित उक्त आपत्ति के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान प्रकरण में वैट अधिनियम की धारा 4(7)(घ) आकर्षित नहीं होती है क्योंकि व्यापारी द्वारा यदि फॉर्म-11 के विरुद्ध माल की खरीद करके उसी दशा में माल की बिक्री नहीं की गयी

है। इकाई द्वारा यह भी उत्तर दिया गया कि वैट अधिनियम की धारा 4(7)(ड) भी आकर्षित नहीं होती है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 4 (7) (घ) के अनुसार, यदि किसी ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खंड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके माल क्रय किया हो, और ऐसे माल का प्रयोजन उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता प्रमाणपत्र किया गया हो, भिन्न प्रयोजन किए लिए किया हो या ऐसे माल का निस्तारण अन्यथा कर दिया हो तो उस व्यापारी पर इस धारा के अंतर्गत अर्थदण्ड आरोपणीय है। पुनः, अधिनियम की धारा 4(7)(ख) के अनुसार यदि किसी व्यापारी को उपधारा (क) में निर्दिष्ट कोई माल किसी कर योग्य माल का प्रदेश में विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए या उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत ऐसे माल के packaging में प्रयोग के लिए अपेक्षित हो और उसका ऐसे माल को राज्य में या अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत से बाहर निर्यात करने के दौरान बेचने का अभिप्राय हो तो ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी के आवेदन पर मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तथापि, वर्तमान प्रकरण में व्यापारी द्वारा फॉर्म 11 के विरुद्ध रियायती दर पर खरीदे गए माल का प्रयोग विनिर्माण एवं ऐसे माल की पैकिंग में प्रयोग तो किया गया है परंतु उस माल को राज्य में या अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत से बाहर निर्यात करने के दौरान बिक्रय न करके कर मुक्त रूप में स्टॉक ट्रान्सफर किया गया है जो स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 4(7)(ख) के अंतर्गत जारी किए गए मान्यता प्रमाण पत्र की शर्तों का उल्लंघन है एवं व्यापारी द्वारा इस हेतु जारी किया गया फॉर्म-11 (घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र) गलत है। अतः, इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 4(7)(घ) आकर्षित होती है एवं धारा 63 के अंतर्गत कार्यवाही भी अपरिहार्य है।

अतः, मिथ्या घोषणा करने वाले व्यापारी से धारा 63 के अनुसार अंतरीय दर से धनराशि ` 39,199/- एवं धारा 4 (7) (घ) के अनुसार अर्थदण्ड ` 58,799/- (अंतरीय दर से देय धनराशि ` 39,199 का डेढ़ गुना) वसूली न किए जाने से कुल ` 97,998/- की राजस्व की क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। (विवरण संलग्न - 1)।

संलग्नक - 1

क्रम सं.	सर्वश्री हैलोनिकस टेक्नोलॉजीज लि0, टिन: 05008839926, सेलाकुई, देहरादून,	
1	आरंभिक रहतिया	237732870.00
2	फॉर्म 11 के विरुद्ध रिययती दर पर कुल खरीद	56832454.00
3	प्रांत बाहर से अर्थात आयातित खरीद	1302954073.00
4	सामान्य दर से प्रांतीय खरीद	214605292.00
5	योग (कुल खरीद + आरंभिक रहतिया)	1812124689.00
6	अंतिम रहतिया	164163457.00
7	माल के विनिर्माण में प्रयुक्त माल का मूल्य	1647961232.00
8	फॉर्म 11 के विरुद्ध क्रय किए गए माल की विनिर्माण में प्रयुक्त किए गए कुल माल के सापेक्ष प्रतिशतता	3.45
9	विनिर्माण में प्रयुक्त रिययती माल का मूल्य	1959953.77
10	धारा 63 के अंतर्गत न्यूनतम अंतरीय कर @2%	39199.08
11	धारा 4(7)(d) के अंतर्गत न्यूनतम अर्थदण्ड (अंतरीय दर से देय कर की धनराशि का डेढ़ गुना)	58798.61
12	कुल योग	97997.69

भाग 2 ब

प्रस्तर - 4 : व्यापार खाते में गलत विवरण प्रदर्शित किए जाने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 3.90 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा- 4(2)(ख)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची से सम्मिलित माल से भिन्न माल की बिक्री पर 13.5% की दर से कर-आरोपणीय होगा साथ ही धारा - 58(1)(VI) के अनुसार न्यूनतम कर की राशि का 50% अर्थदण्ड भी आरोपणीय होगा।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-1, राज्य कर, विकासनगर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री पुजा ट्रेडर्स, सेलाकुई, टिन: 05005278571 , द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2014-15 की पत्रावली में उपलब्ध कराये गए खरीद-बिक्री के आंकड़ों के अनुसार प्रांत के अंदर से क्रय किए गए 13.5% की दर की वस्तुओं की बिक्री कम प्रदर्शित की गयी है, जो निम्नवत है:

(राशि ₹ में)

कर का प्रतिशत	प्रा.रहतिया	प्रांतीय खरीद	बिक्री(13.5%)	अंतिम रहतिया	कम प्रदर्शित बिक्री	कम प्रदर्शित बिक्री पर आरोपणीय कर
5%	56987	20832550	23724191	896357	-	-
13.5%	1365593	1283775	800511	402982	1445875	195193
करमुक्त	212960	66461	41263	248963	-	-
योग	1635540	22182786	24565965	1548302		

अतः उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार यदि कम प्रदर्शित बिक्री पर लाभांश न भी जोड़ा जाय तब भी कम प्रदर्शित बिक्री ₹1445875/- पर बिक्री के अनुक्रम में 13.5% की दर से ₹195193/- (₹1445875@13.5%) कर आरोपणीय था, जो आरोपित नहीं किया गया। अतः कम आरोपित कर ₹195193/-, एवं नियमानुसार ब्याज सहित राजकोष में जमा कराये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(VI) के अनुसार ₹ 97597/- का अर्थदण्ड भी आरोपणीय है। उपरोक्त के विषय में इंगित

किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि संप्रेक्षा द्वारा अंकित आपत्ति के संबंध में जांचोपरांत कार्रवाई करके संप्रेक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः, ` 195193/- के कर एवं ` 97597/- के अर्थदण्ड के अनारोपण से कुल ` 292790/- (195193 + 97597) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)**प्रस्तर - 5 : कर का न्यूनारोपण ` 8.69 लाख।**

उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या 98/2015/181(120)/XXVII(8)/2008 देहरादून, दिनांक 20/01/2015 के अनुसार किसी ओद्योगिक निर्माता इकाई जिसका मुख्य व्यापार स्थल उत्तराखंड में हो, द्वारा ऐसे मुख्य व्यापार स्थल से अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान किसी माल जिस पर उक्त धारा की उपधारा लागू होती हो की बिक्री करने पर उक्त धारा की उपधारा(1) के अंतर्गत शर्तों के अधीन, तथा फार्म सी में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 1% की दर से कर देय होगा।
“ऐसी बिक्री ऐसी निर्माता ओद्योगिक इकाई द्वारा की गयी हो जिसका कि मशीन एवं संयंत्र में कुल पूँजी निवेश रुपये पच्चीस करोड़ या उससे कम हो”।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-1, राज्य कर, विकासनगर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री रुसान फार्मा लि., सेलकुई, टिन: 05006812820 द्वारा, कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में ` 8,69,37,225/- की स्वनिर्मित मेडिसिन की बिक्री फार्म सी के विरुद्ध की गयी है जिस पर 1% की दर से ₹ 8,69,372/- का करारोपण किया गया है। चूंकि व्यापारी ने अपनी बैलेन्स शीट में मशीन एवं संयंत्र पर कुल पूँजी निवेश ₹49,75,07,476/- दर्शाया है, इसलिए व्यापारी उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार फार्म सी से 1% की दर से बिक्री करने के लिए अधिकृत नहीं था।

अतः व्यापारी पर 1% की दर से ₹ 8,69,372/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि फ़र्म के प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य 25 करोड़ से कम होने के कारण केंद्रीय बिक्री पर 1% की दर से करारोपण किया गया है। फ़र्म की अंकेक्षित बैलेन्स शीट सभी इकाइयों से संबन्धित होने के कारण प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य ` 49,75,07,476/- दर्शाया गया है। इस संबंध में रुसान फार्म लि0, सेलाकुई से संबन्धित प्लांट एवं मशीनरी के मूल्य का विवरण संप्रेक्षा को प्रेषित कर दिया जाएगा।

अतः, कर के न्यूनारोपण से ` 8.69 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 6 - कर के अनियमित आरोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति रु 5.89 लाख।

As per Rule 12(1), one declaration in Form C can cover all transactions in one quarter irrespective of total amount/value of transactions during the quarter.

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) -1, राज्य कर, विकास नगर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया की सर्वश्री लिंडे इंडिया लि०, सेलाकुई(टिन- 05008062956), वर्ष-2015-16) का व्यापार लिक्विड आक्सीजन एवं नाइट्रोजन गॅस का निर्माण कर बिक्री का था। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में 66 फार्म 16 का प्रयोग करके रु 13425496.00 का कैपिटल गुड्स प्लांट एवं मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स आदि का आयात किया गया। आलोच्य वर्ष में रु 472918256.00 के स्व निर्मित मेडिकल ऑक्सिजन, लिक्विड आक्सीजन लिक्विड नाइट्रोजन तथा लिक्विड आर्गन गॅस की केंद्रीय बिक्री/ प्रांत बाहर से स्टॉक ट्रांसफर किया जाना स्वीकार किया गया। जिसमें से फार्म सी के विरुद्ध रु 251972297.00 की केंद्रीय बिक्री की गयी। व्यापारी की गोपनीय पत्रावली की जांच में पाया गया की उसका फिनिश प्रॉडक्ट लिक्विड ऑक्सिजन, लिक्विड नाइट्रोजन तथा लिक्विड आर्गन था।

पत्रावली पर उपलब्ध फार्म सी की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि फार्म सी सीरीज नंबर पीबी 160070496 एवं पीबी 160070497 (मोहाली पंजाब) क्रमशः रु 1405757.00 एवं रु 3044969.00 के विरुद्ध केमिकल की बिक्री की गयी जो की उक्त फर्म का उत्पाद नहीं थी। पुनः उक्त फार्म फर्जी प्रतीत होता है, क्योंकि पंजाब के अन्य फार्म सी पर एक्साइज़ एवं टैक्सेशन आफिसर की मुहर एवं हस्ताक्षर है। अतः उक्त declaration के आधार पर टैक्स में छुट प्रदान करना नियमानुकूल नहीं था। इसी प्रकार फार्म सी नंबर PB/AD/C/037:6889 (डेराबासी पंजाब) के द्वारा दो तिमाही (द्वितीय एवं तृतीय) का संव्यवहार (केमिकल की बिक्री) आच्छादित था। अतः न्यूनतम सम्बन्धित रु 97897.00 (invoice no.3935 30/09/2015) पर फार्म सी संबन्धित छुट देय नहीं होगी। पुनः फार्म सी नंबर PB/AD/C/037:7273 (डेराबासी पंजाब) के द्वारा दो तिमाही (तृतीय एवं चतुर्थ) का संव्यवहार (केमिकल की बिक्री) आच्छादित है। अतः न्यूनतम सम्बन्धित रु 549868.00 (दिसंबर 2015 के सम्बन्धित) पर फार्म सी संबन्धित छुट देय नहीं होगी और पूर्ण दर से कर आरोपणीय होना था। इस प्रकार कर के अनियमित आरोपण के फलस्वरूप रु $586326.00(1405757.00+3044969.00=4450726*11.5\%=511833.49;97897.00+549868.00=647765*11.5\%=74492.00;)$ की राजस्व क्षति हुई।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया की फार्म सी के सत्यापन हेतु दिनांक 07.09.2020 पत्रांक 108 द्वारा पत्र प्रेषित किया जा चुका है (यद्यपि पत्र की छाया प्रति नहीं उपलब्ध कराई गयी)।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)**प्रस्तर -7 : कर का अनारोपण ` 0.45 लाख।**

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है। उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग - 8 के पत्रांक **226/2015/181(120)/XXVII(8)/08** दिनांक 08 जून 2015 द्वारा उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची II (ख) के क्रमांक 10 पर अंकित प्रविष्टि के स्थान पर नई प्रविष्टि "एल्युमिनियम इसके मिश्रण तथा उनके स्क्रैप्स (कपर्ण को छोड़कर)" रख दी गई है। इस प्रकार दिनांक 08 जून 2015 से किसी भी अनुसूची में शामिल न होने के कारण एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स पर कर देयता 13.5% से निर्धारित की गई है।

कार्यालय उपायुक्त (क. नि.)-1, राज्य कर विभाग, विकासनगर, देहरादून की कर निर्धारण वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री ऑल स्टोन इंटरनेशनल कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 द्वारा एल्युमिनियम पैनल शीट की दिनांक 08 जून से 11 जून 2015 तक की गई ` 5,31,674/- की बिक्री पर 5% की दर से ₹ 26,583/- का करारोपण किया गया है जबकि इस अवधि में एल्युमिनियम पैनल शीट के किसी भी अनुसूची में शामिल न होने के कारण इसकी बिक्री पर 13.5% की दर से ₹ 71,776/- का कर आरोपित किया जाना चाहिए था। अतः, ` 5,31,674/- की उक्त बिक्री पर अंतरीय दर 8.5% (13.5 - 5) से ` 45,192/- (71,776 - 26,583) का अतिरिक्त कर आरोपित किया जाना अपेक्षित है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि संप्रेक्षा द्वारा अंकित आपत्ति के संबंध में जांचोपरांत कार्रवाई करके संप्रेक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः, ` 45,192/- के कर के अनारोपण से कुल ` 45,192 की राजस्व क्षति एवं इस राशि पर नियमानुसार देय ब्याज का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-III 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-88/2017-18	01	01,02,03,04	
CT-92/2018-19	01,02	01,02,03	
CT-92/2019-20	01,02,03	01	

भाग-IV**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V**आभार**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण), - 1 राज्य कर, विकासनगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
2. सतत् अनियमितताएं:
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री रोहित श्रीवास्तव,	उपायुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)-1, राज्य कर, विकासनगर के वर्ष 2016-17 की कर निर्धारण पत्रावलियां हस्तांतरण होने के पश्चात कर निर्धारण की कार्यवाही हेतु अवशेष

S. No.	Tin	Firm Name	Address
1	5011783488	M/S AV ENTRPRISES	KUNJAGRANT-VIKAS NAGAR-VIKAS NAGAR-DEHRADUN 248142- UTTARAKHAND
2	5012987646	M/S CHAUHAN FEED STORE	CHUGNI NO 1-BABUGARDH-DEHRADUN-248198-UTTARAKHAND
3	5006589720	M/S GABBAR SINGH RAWAT S/o SAKAL SINGH RAWAT	VILLAGE PALETHA P.O.- NAUGOUN UTTARKASHI
4	5010274362	M/S GLOBAL ENTERPRISES	28 FEETA FOAD VIKASNAGAR
5	5011842367	M/S HERBERTPUR CHRISTIAN HOSPITAL	NONE-EDENBAGH-HERBERTPUR-DEHRADUN-248142 – UTTARAKHAND
6	5005219789	M/S KRISHNA TRADERS	10/49 JANIN MARKET HOSPITAL ROAD, VIKASNAGAR, DISTT. DEHRADUN
7	5012190403	M/S MAHAWAR SANITARY	LAXMAN PUR-VIKAS NAGAR-DEHRADUN- 248198-UTTARAKHAND
8	5005239189	M/S MAM CHAND GYAN CHAND	MAIN ROAD VIKASH NAGAR DEHRADUN
9	5006341691	M/S MANISH ENTERPRISES	NEHRU MARKET, DAKPATHAR, DIST.DEHRADUN
10	5005266864	M/S NIKHIL TRDERS	12/0 MORI ROAD NEHRU NAGAR PUROLA DIST. UTTARAKHAND
11	5005272557	M/S PANWAR TRADERS	VILL- NAUGOAN P.O. NAUGOAN TEHSIL BARKOT – UTTARKASHI
12	5009593422	M/S VINISHMA TECHNOLOGIESZ	G-33 UPSIDC INDUSTRIAL AREA SELAQUI
13	5005893745	M/S SETHI COMMUNICATION	CHURCH ROAD, VIKASNAGR, DIST. DEHRADUN
14	5011563007	M/S SIDHARTH KISAN SEWA KENDRA	BAROTHAWALA-VIKASNAGAR-DEHRADUN-248198 UTTARAKHAND
15	5008338630	M/S SRISHTI SERVICE STATION	VILL- PURODL P.O. – PUROLA
16	5016151689	M/S ARYA TRADERS	VILL- FATEH UR GRANT-RAM BAGH-DEHRADUN ROAD. DEHRADUN -248142- UTTARAKHAND
17	5009706524	M/S ADHUNIK ELECTRO CONTROLS PRIVATE LIMITED	PLOT NO E 5 UPSIDC INDUSTRIAL AREA SELAQUI
18	5011272880	M/S ANAND ELECTICAL	HOSPITAL ROAD, VIKASNAGAR
19	5010044569	M/S BALA SUNDARI KISAN SEWA KENDRA	MANDUWALA BHAWWALA ROAD BHAWWALA
20	5005117648	M/S BHARAT FURNITURE	KALYANPUR VIKASNAGAR DDUN
21	5008543106	M/S BODYCARE INTERNATIONAL LIMITED	E-13, UPSIDE INDUSTRIAL AREA, SELAQUI
22	5000834516	M/S CEASEFIRE INDUSTRIES PVT LTD.	E-6, UPSIDE INDUSTRIAL AREA, SELAQUI DEHRADUN
23	5005157806	M/S FRIENDS BAJAJ	BABUGARH MAIN ROAD, NEAR ASHRAM SCHOOL, V.NAGAR D DUN.
24	5000872249	M/S GREATECH TELECOM TECHNOLOGIES PVT. LTD.	KHASRA NO-122/32,122/36 MI, CENTRAL HOPE TOWN, NIGAM ROAD, SELAQUI
25	5005168767	M/S GUPTA TRADERS	SAYYED RD LAXMAN PUR VIKAS NAGAR DDUN
26	5006668775	M/S GURUJI ENTERPRISES	E-8/2, 8/3, INDUSTRIAL AREA, SELAQUI
27	5009332298	M/S HEMCO GARMENTS PVT. LTD.	D-4A, SARA INDUSTRIAL AREA SELAQUI

28	5011737898	M/S HIMALAYAN CAPS AND CONTAINERS	KHASRA NO 122/13 & 122 CENTRAL HOPETOWN INDUSTRIAL AREA SELAQUI DEHRADUN- 248197 – UTTARAKHAND
29	5006793711	M/S HIMALAYAN PACKAGING INDUSTRIES (P) LTD.	D-5, INDUSTRIAL AREA, SELAQUI, DEHRADUN
30	5009685281	M/S HIMALAYAN POLYMER POLYMER INDUSTRIES	KHASARA NO 296 1 MAIN 296 3 MAIN 323 MAIN CENTRAL HOPE TOWN INDUSTRIAL AREA SELAQUI
31	5009439095	M/S HIMALAYAN SKINCARE PRIVATE LIMITED	KHASARA NO 122 MI CENTRAL HOPE TOWN SELAQUI
32	5006383983	M/S HIND RECTIFIERS LTD. UNIT- I	KHASARA NO. 64,65,66,67 AND 74, LANDHA ROAD, VILLAGE CHARBA, VIKASNAGAR, DIST. DEHRADUN
33	5006854433	M/S INTEC CORPORATION	F-89, SELAQUI, INDU. AREA, DEHRADUN
34	5005228616	M/S LEXUS INDIA LTD.	D-3, D-4, SELAQUI INDUSTRIAL AREA DEHRADUN
35	5008062956	M/S LINDE INDIA LIMITED	KHASARA NO-122 TWIN INDUSTRIAL ESTSTE PHASE-II SELAQUI
36	5005726808	M/S MOD HIKE PRIVATE LTD.	24,24 A FARMACITY SELAQUI DEHRADUN
37	5009491475	M/S MODS DISPENSARY	PLOT NO 24 AND 24 A, PHARMA –CITY SELAQUI INDUSTRIAL AREA, D DUN UK.
38	5006067763	M/S OLIVE SOFT GEL	PLOT NO- 4 SARA INDUSTRIAL AREA, RAMPUR, SELAQUI
39	5015942751	M/S R S TRADERS	VILL- KUNJAGRANT- POANTA ROAD-NERA YAMUNA BARAJ- DEHRADUN-248142- UTTARAKHAND
40	5008669497	M/S S P FRAGRANCES PVT LTD.	C-1/1, UPSIDC, INDUSTRIAL AREA SELAQUI
41	5005314946	M/S SAHASPUR INDANE GAS AGENCY	SHOP NO 5 NEAR DCB NATIONAL HIGHWAY 72 SAHASPUR DDUN
42	5010040398	M/S SAI SHYAM TRADERS	PAHARI GALI VIKASNAGAR
43	5006037305	M/S SARVER PHARMACEUTICALS U A	C-7, SARA INDUSTRIAL ESTATE, RAMPUR, SELAQUI
44	5010397067	M/S SHIV TRADERS	SHASPUR PO- SHASPUR
45	5005655222	M/S SUPER MAX LABORATORIES	PLOT NO 40 PHARMA CITY SELAQUI DEHRADUN
46	5013012963	M/S VAIBHAV TRADING CO	219-28 FITTA ROAD- HOSPITAL ROAD – DEHRADUN- 248198 – UTTARAKHAND
47	5006952694	M/S VAMSO BIOTEC PVT. LTD.	SARA INDURSTRIAL AREA
48	5017009072	VIVIANO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	7- NEAR NEHRU YUVA KENDRA-JHAJHARA- DEHRADUN-248007 – UTTARAKHAND